अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवादित। - www.onlinedoctranslator.com

व्यापार की योजना

आय सृजन गतिविधियां –वर्मी-कम्पोस्ट

द्वारा

लुंनसु - स्वयं सहायता समूह

SHG/CIG नाम	::	लुंनसु
वीएफडीएसनाम	::	धार पनियाली
श्रेणी	::	नगरोटा सूरियां
विभाजन	::	देहरा डिवीजन

इसके अंतर्गत तैयार:

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना (जाईका सहायता प्राप्त)

विषयसूची

सीनियर नहीं।	विवरण	पृष्ठ/पृष्ठों
1	पृष्ठभूमि	3
2	SHG/CIG का विवरण	4
3	लाभार्थियोंविवरण	5-6
4	गाँव का भौगोलिक विवरण	6
5	आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण	6
6	उत्पादन प्रक्रियाएं	7
7	उत्पादनयोजना	7
8	बिक्री और विपणन	8
9	स्वोट अनालिसिस	8
10	सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण	9
11	अर्थशास्त्र का विवरण	10-13
12	आर्थिक विश्लेषण का निष्कर्ष	14
13	निधि की आवश्यकता	14
14	निधि के स्रोत	14
15	बैंक ऋण चुकौती	15
16	प्रशिक्षण/क्षमताइमारत/कौशलउन्नयन	15
17	निगरानी विधि	15
18	समूह सदस्य फ़ोटो	16-17

पृष्ठभूमि

सरल तरीकों के कारण वर्मीकंपोस्टिंग देश में मजबूत पकड़ बना रही है।उत्पादन तकनीक, उससे जुड़े पारिस्थितिक, आर्थिक और मानव स्वास्थ्य लाभों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विशेष रूप से देश के दक्षिणी और मध्य भागों में, सरकारी सहायता/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के तकनीकी मार्गदर्शन में, उद्यमियों द्वारा बड़ी संख्या में वर्मिन कम्पोस्ट इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।

वर्मीकंपोस्टिंग के प्रत्यक्ष पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ हैं क्योंकि यह टिकाऊ कृषि उत्पादन और किसानों की आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कई गैर-सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ), स्वयं सहायता समूह हैं।(एसएचजी), ट्रस्ट आदि, जो अपने स्थापित आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के कारण वर्मिन कम्पोस्ट प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं।

कृमि खाद

केंचुओं के पालन/उपयोग द्वारा खाद उत्पादन को वर्मी कम्पोस्टिंग तकनीक कहा जाता है। इस तकनीक के अंतर्गत, केंचुए जैव-भार खाते हैं और उसे पचाकर उत्सर्जित करते हैं, जिसे वर्मी कम्पोस्टिंग या वर्मी कम्पोस्ट कहते हैं। यह छोटे और बड़े, दोनों तरह के किसानों के लिए खाद उत्पादन की सबसे सरल और किफ़ायती विधियों में से एक है। वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई किसी भी ऐसी भूमि पर स्थापित की जा सकती है जिसका कोई आर्थिक उपयोग न हो, लेकिन छायादार और जल जमाव से मुक्त हो। यह स्थान जल संसाधन के निकट भी होना चाहिए।

वर्मीकंपोस्टिंग, जिसे "कचरे से सोना" कहा जाता है, जैविक कृषि उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। सरल तकनीक के कारण, कई किसान वर्मीकंपोस्टिंग उत्पादन में लगे हुए हैं क्योंकि यह मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है; जिससे मृदा उत्पादकता बढ़ती है।खेती की लागत कम हो जाती है.

उच्च स्तर के कारण वर्मी कम्पोस्ट की मांग में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है।पोषक तत्व सामग्री.

1. SHG/CIG का विवरण

SHG/CIG नाम	::	लुंनसु
वीएफडीएस	::	धार पनियाली
श्रेणी	::	नगरोटा सूरियां
विभाजन	::	देहरा डिवीजन
गाँव	::	नंदपुर
अवरोध पैदा करना	::	नगरोटा सूरियां
ज़िला	::	कांगड़ा
एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	::	10(महिलाओं का)
गठन की तिथि	::	9/09/2022
बैंक खाता सं.	::	0686000105189554
किनाराविवरण	::	एचडीएफसी देहरा
SHG/CIG मासिक बचत	::	50 रुपये
कुलबचत	::	500 रुपये
कुलअंतर-उधार लिया हुआ धन	::	-
नकद क्रेडिट सीमा	::	-
पुनर्भुगतान स्थिति	::	-

2. लाभार्थियों का विवरण:

सीनियर नहीं	का नाम उम्मीदवार	पद का नाम	वर्ग	आयु	योग्यताएन	संपर्क सूचना	आय पीढ़ी
1	सुमना देवी पत्नी राजिंदर कुमार	अध्यक्ष	अन्य पिछड़ा वर्ग	48	10वां	8091140963	कृषि
2	रंजना देवी पत्नी ओम प्रकाश	सचिव	अन्य पिछड़ा वर्ग	45	12 वीं	9816810293	कृषि
3	जोगिंद्र देवी पत्नी बलदेव	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	65	8वां	7807618969	कृषि
4	अंजू बाला पत्नी हेमराज	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	26	12वां	7807307191	कृषि
5	परवीन कुमारी जीत कुमार की पत्नी	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	58	5वां	9805172336	कृषि
6	मीनाक्षी पत्नी भगवान दास	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	55	12वां	8219374993	कृषि
7	शारदा देवी पत्नी उत्तम चंद	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	66	5वां	9816195496	कृषि
8	सोमा देवी पत्नी ब्रह्म दास	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	65	5वां	9805591692	कृषि
9	शशि कला पत्नी सुमन सिंह	सदस्य	जनरल	45	12वां	7018069669	कृषि
10	नीलम कुमारी पत्नी हरमिंदर सिंह	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	41	12वां	9805029412	कृषि

3. गाँव का भौगोलिक विवरण

3.1	दूरीसेtheज़िलामुख्यालय	::	80 किमी
3.2	मुख्य सड़क से दूरी	::	1 किमी
3.3	स्थानीय बाजार का नाम एवं दूरी	::	नगरोटा और 1 किमी
3.4	मुख्य बाजार का नाम एवं दूरी		नगरोटा और 10 किमी
3.5	मुख्य शहरों के नाम एवं दूरी		जवाली 35 किमी और पठानकोट70 किमी, कांगड़ा 50 किमी
3.6	मुख्य शहरों के नाम जहां उत्पाद बेचा/विपणित किया जाएगा	::	नगरोटा सुरियन, पठानकोट, जवाली

			कांगड़ा, हरिपुर

4. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण

4.1	उत्पाद का नाम	::	कृमि खाद
4.2	तरीका का वस्तु की पहचान करना	::	यह गतिविधि समूह के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से तय की गई है।
4.3	एसएचजी/सीआईजी/क्लस्टर सदस्यों की सहमति	::	हाँ

5. उत्पादन प्रक्रियाओं का विवरण

कदम		विवरण
स्टेप 1	::	प्रसंस्करण में अपशिष्टों का संग्रहण, कतरना, धातु, कांच और चीनी मिट्टी के बर्तनों का यांत्रिक पृथक्करण और जैविक अपशिष्टों का भंडारण शामिल है।
चरण दो	::	जैविक अपशिष्ट को मवेशियों के गोबर के घोल के साथ ढेर करके बीस दिनों तक पूर्व-पाचन किया जाता है। इस प्रक्रिया से सामग्री आंशिक रूप से पच जाती है और केंचुओं के खाने योग्य हो जाती है। मवेशियों के गोबर और बायोगैस घोल को सुखाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। गीले गोबर का इस्तेमाल वर्मी-कम्पोस्ट बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
चरण-3	::	केंचुआ पिट तैयार करना। वर्मी-कम्पोस्ट तैयार करने के लिए अपशिष्ट डालने हेतु एक ठोस आधार की आवश्यकता होती है। ढीली मिट्टी के कारण कीड़े मिट्टी में जा सकेंगे और पानी देते समय भी, सभी घुलनशील पोषक तत्व पानी के साथ मिट्टी में चले जाएँगे।
चरण 4	::	वर्मी-कम्पोस्ट संग्रहण के बाद केंचुओं का संग्रहण। पूरी तरह से कम्पोस्ट हो चुकी सामग्री को छानकर अलग कर लें। आंशिक रूप से कम्पोस्ट हुई सामग्री को फिर से वर्मी-कम्पोस्ट बेड में डाल दें।
चरण-5	::	नमी बनाए रखने और लाभकारी सूक्ष्मजीवों को विकसित होने देने के लिए वर्मी-कम्पोस्ट को उचित स्थान पर संग्रहित करें।

6. उत्पादन योजना का विवरण

6.1	उत्पादन चक्र (दिनों में)	::	90 दिन (एक वर्ष में तीन चक्र)
6.2	श्रमशक्ति आवश्यक प्रति चक्र (सं.)	::	10
6.3	स्रोतकाकच्चासामग्री	::	घर से और अपने खेतों से
6.4	स्रोतकाअन्यसंसाधन	::	मुक्त बाज़ार
6.5	कच्चा सामग्री - मात्रा प्रति चक्र प्रति सदस्य आवश्यक (किग्रा)	::	1400 किलोग्राम प्रति चक्र
6.6	अपेक्षित उत्पादन प्रति प्रति सदस्य चक्र (किग्रा)	::	700 किलोग्राम प्रति चक्र

7. विपणन/बिक्री का विवरण

7.1	संभावित बाज़ार स्थान	::	हिमाचल प्रदेश वन विभाग स्थानीय बाजार अपने खेत पर उपयोग करें
7.2	इकाई से दूरी	::	
7.3	बाज़ार/स्थानों में उत्पाद की मांग	::	एचओ वन विभाग अपनी नर्सरी के लिए भारी मात्रा में वर्मी-कम्पोस्ट खरीद रहा है
7.4	बाजार की पहचान की प्रक्रिया	::	पीएमयू हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वर्मी-कम्पोस्ट की खरीद में सहायता करेगा।
7.5	उत्पाद की विपणन रणनीति		भविष्य में बेहतर बिक्री मूल्य के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपने गांवों के आसपास अतिरिक्त विपणन विकल्पों की भी तलाश करेंगे।
7.6	उत्पाद ब्रांडिंग		सीआईजी/एसएचजी स्तर पर उत्पाद का विपणन संबंधित सीआईजी/एसएचजी की ब्रांडिंग द्वारा किया जाएगा। बाद में, इस आईजीए को क्लस्टर स्तर पर ब्रांडिंग की आवश्यकता हो सकती है।
7.7	उत्पाद "नारा"		"प्रकृति के अनुकूल"

8. स्वोट अनालिसिस

- **ताकत**
  - कुछ एसएचजी सदस्यों द्वारा पहले से ही गतिविधि की जा रही है
  - प्रत्येक एसएचजी सदस्य के पास प्रत्येक घर में 2 से 8 तक मवेशी हैं
  - स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के परिवार उच्च मूल्य वाली फसलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे पूरे वर्ष उन्हें कच्चे माल अर्थात कृषि जैविक अपशिष्ट की पर्याप्त उपलब्धता मिलती है।
  - उनके खेतों में कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है
  - विनिर्माण प्रक्रिया सरल है
  - उचित पैकिंग और परिवहन में आसान
  - परिवार के अन्य सदस्य भी लाभार्थियों के साथ सहयोग करेंगे
  - उत्पाद का स्व-जीवनलंबा है
- **कमजोरी**
  - विनिर्माण प्रक्रिया/उत्पाद पर तापमान, आर्द्रता, नमी का प्रभाव।
  - तकनीकी जानकारी का अभाव
- **अवसर**
  - जैविक और प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों में जागरूकता के कारण वर्मी कम्पोस्ट की मांग बढ़ रही है
  - अपने खेत में वर्मी-कम्पोस्ट का प्रयोग करने से मृदा स्वास्थ्य में सुधार और वृद्धि होगी तथा गुणवत्तापूर्ण कृषि उपज का उत्पादन होगा, जिससे बेहतर मूल्य मिलेगा।
  - रसोई से बचे हुए घरेलू कचरे सहित जैविक कचरे का सर्वोत्तम उपयोग
  - एचपी फॉरेस्ट के साथ विपणन गठजोड़ की संभावना
- **खतरे/जोखिम**
  - अत्यधिक मौसम के कारण उत्पादन चक्र के टूटने की संभावना
  - प्रतिस्पर्धी बाजार
  - प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण एवं कौशल उन्नयन में भागीदारी के प्रति लाभार्थियों में प्रतिबद्धता का स्तर

9. सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण

➔**उत्पादन** -कच्चे माल की खरीद सहित इसका ध्यान व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा रखा जाएगा

➔**गुणवत्ता आश्वासन** -समग्र रूप से

➔**सफाई और पैकेजिंग** –समग्र रूप से

➔**विपणन** –समग्र रूप से

➔**निगरानीकाtheइकाई**–समग्र रूप से

10. अर्थशास्त्र का विवरण

(वास्तविक राशि रु. में)

क्रमांक	विवरण	इकाइयों	मात्रा / संख्या	लागत (रु.)	कुल पूंजीगत लागत
एक।	**पूंजीगत लागत**				
ए.1	**निर्माण कार्य पिट एंड शेड**				
1	निर्माण और श्रमशेड सहित लागत (आकार होगा10 फीट X 3 फीट X 3 फीट)	प्रति सदस्य	10	13000	130000/-
2	कवर शेड का निर्माण लोहे/लकड़ी	प्रति सदस्य	10	1000	10000/-
	उप कुल(ए . 1)				
	कुल पूंजी लागत				**रु. 140,000/-**

1. पुनरावर्तीला ग त					
	विवरण	**इकाई**	**मात्रा**	**लागत**	**मात्रा**
1.	बीज केंचुआ	प्रति किलोग्राम	10	रास	10,000
2.	खरीद की लागत घोल/गोबर/अपशिष्ट	टन	25	1000	25000
3.	पैकिंग सामग्री	नंबर	ल स	3	5000
4.	परिवहन			-	5000
	कुल				**रु. 45000/-**

टिप्पणी- चूंकि श्रम कार्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा स्वयं किया जाएगा तथा स्लरी/गोबर/अपशिष्ट उनके स्थान पर पहले से ही उपलब्ध है तथा इन सामग्रियों की खरीद उनके द्वारा नहीं की जाएगी, इसलिए आवर्ती लागत (श्रम लागत, स्लरी/गोबर/अपशिष्ट की खरीद की लागत) को कुल आवर्ती लागत से घटाया जा सकता है।

वितरण –उत्पादन में हिस्सेदारी के अनुसार.

11. आर्थिक विश्लेषण के निष्कर्ष

पिट के आकारके लिएप्रत्येक सदस्य की योजना बनाई पर10X3X3फुट के हिसाब से बनाए जाए ।

- लागतकाउत्पादनकावर्मी-कम्पोस्ट का लागत रु.4.2 प्रति किलो ग्राम की पड़ती है
- बिक्री का वर्मी-कम्पोस्ट का बिक्री रु.8प्रति किलो ग्राम से होती है
- रु. 3.8प्रति किलोग्राम से सदस्य को लाभ होगा
- यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक सदस्य प्रतिदिन 5.4 टन वर्मी-कम्पोस्ट का उत्पादन करेगा।परिणामस्वरूप एक वर्ष में स्वयं सहायता समूह के सभी 8 सदस्यों द्वारा 80 टन वर्मी-कम्पोस्ट का उत्पादन किया जाएगा

- दूसरे वर्ष के बाद से, बिक्री के लिए अधिशेष मिट्टी का काम होगा (क्योंकि यहगुणावर्मी-कम्पोस्ट के उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान)
- वर्मी-कम्पोस्ट बनाना एक लाभदायक IGA है और इसे SHG सदस्यों द्वारा अपनाया जा सकता है

12. निधि की आवश्यकता:

विवरण	कुल राशि	परियोजनाशेयर करना75%	स्वयं सहायता समूहयोगदान25%
पूंजीगत लागत	**140000/-**	**105000/-**	**35000/-**
पुनरावर्तीला ग त	45000/-	0	45000/-
प्रशिक्षण	5000/-	5000/-	0
कुलफ़ायदे	**रु. 190,000/-**	**रु. 110,000/-**	**रु. 80,000/-**

टिप्पणी-

- **पूंजीगत लागत** -परियोजना के अंतर्गत पूंजीगत लागत का 75% कवर किया जाएगा
- **आवर्ती लागत** -एसएचजी/सीआईजी द्वारा वहन किया जाएगा।
- **प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन** -परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा

13. निधि के स्रोत:

परियोजना समर्थन;	• पूंजीगत लागत का 75% गड्ढे के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा (आकार 10 फीट X 3 फीट X 3 फीट होगा) • एसएचजी बैंक खाते में 1 लाख रुपये तक की धनराशि जमा की जाएगी। • प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/ कौशल उन्नयन लागत.	गड्ढे के निर्माण/गड्ढे के लिए सामग्री की खरीद सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करने के बाद संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा की जाएगी।
स्वयं सहायता समूह योगदान	• पूंजीगत लागत का 25%एसएचजी द्वारा वहन की जाने वाली राशि में शेड/शेड निर्माण की लागत शामिल है। • आवर्ती लागत स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी	

14. बैंक ऋण चुकौती

यदि ऋण बैंक से लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा औरसीसीएल में पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; तथापि, सदस्यों से मासिक बचत और पुनर्भुगतान रसीद सीसीएल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।

- सीसीएल में, स्वयं सहायता समूह के बकाया मूल ऋण का भुगतान वर्ष में एक बार बैंकों को पूर्ण रूप से किया जाना चाहिए। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- सावधि ऋणों में, पुनर्भुगतान बैंकों में पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाना चाहिए।

15. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।

अगले हैं कुछ प्रशिक्षण/क्षमता इमारत/ कौशल प्रस्तावित/आवश्यक उन्नयन:

- परियोजना अभिविन्यास समूह गठन/पुनर्गठन
- समूह अवधारणा और प्रबंधन
- आईजीए (सामान्य) का परिचय
- विपणन और व्यवसाय योजना विकास
- श्रेय लिंके और उद्यम विकास
- खुलासा मिलने स्वयं सहायता समूह/सीआईजी–अंतर राज्य एं बाहर राज्य

16. निगरानी तंत्र

- वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी करेगी और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी, ताकि प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
- एसएचजी को प्रत्येक सदस्य के आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए, ताकि संचालन सुनिश्चित हो सके।प्रक्षेपण के अनुसार इकाई.

प्रत्येक सदस्य की तस्वीरें; -

द्वारा तैयार; -

श्री मदन लाल शर्मा सेवानिवृत्त। एचपीएफएस (को-ऑर्डिनेटर जेआईसीए) श्रीमती दीक्षा देवी (विषय विशेषज्ञ जेआईसीए) श्रीमती कनू गुलेरिया (एफटीयू को-ऑर्डिनेटर जेआईसीए)

व्यवसाय योजना का अनुमोदन

BUSINESS PLAN APPROVAL BY VFDS&DMU

...Lunsu.......... Group will undertaken the ...Vermicompost..... livelihood Income Generation Activity under the project for implementation of Himachal Pradesh Forest Ecosystem Management & livelihood (JICA assisted). In this regard business plan of amount Rs. .190,000/-... has been submitted by group on.29/09/22. And the business plan has been approved by the VFDS..Dhar...Ranjy ali

Business plan submitted through FTU for further action please.
Thank you

सुमना देवी
Signature of Group President

रजना देवी
Signature of Group Secretary

27/5/25

Approved
DMU- CUM-Dehra

Resolution - cum - Group Consensus Form

It is decided in the General House meeting of the group ...Lunav... ... ... at Dhar Laniyali that our group will undertake the .Vermi Compost as Livelihood Income Generation Activity under the Project for improvement of Himachal-Pradesh Forest Ecosystem Management & Livelihoods (JICA Assisted).

सुमना देवी

Signature's of Group Pradhan

Secretary

रजना देवी

Signature's of Group

Submitted to DMU through FTU

Name & Signature of FTU Officer

Coordinator

Range Forest Office,

kangra (H.P)

Name & Signature of FTU

Approved

Name & Signature of DMU officer